भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1960

उत्तर देने की तारीख 14.12.2023

"उद्योगों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग"

1960. श्री चंद्र शेखर साहू:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उद्योगों और शैक्षिक समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता है जैसा कि अमेरिका और विभिन्न उन्नत विकसित अर्थव्यवस्थाओं/अकादमिक क्षेत्रों में है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उद्योग में यह आम धारणा/शिकायत है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के नए छात्रों में औद्योगिक कौशल की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विक्रेता विकास कार्यक्रम और प्रदर्शनी एमएसएमई इकाइयों के लिए ग्राहक खोजने हेतु एक मंच तैयार करने में सफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में शिक्षा जगत को अच्छे इंजीनियर तैयार करने में सहायता करने के लिए उद्योग और शैक्षिक समुदायों के बीच और अधिक सहयोग हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम चलाने हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा सहित राज्य-वार विक्रेता विकास कार्यक्रम चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) एवं (ख) : देश में छात्रों/एमएसएमई के क्षमता निर्माण और औद्योगिक कौशल के संवर्धन हेतु उद्योगों और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि एमएसएमई के लिए उद्योग-शिक्षा क्षेत्र संपर्क को सुनिश्चित किया जा सके। इस स्कीम में एमएसएमई के लिए विचारों के पोषण, डिजाइन विकास और पेटेंट सहायता हेतु मेजबान संस्थानों (एचआई) और कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ने का प्रावधान है। आज की तारीख में, 639 शैक्षणिक संस्थानों को इंक्यूबेशन घटक के अंतर्गत मेजबान संस्थानों (एचआई) के रूप में मान्यता दी गई है।

(ग) से (च) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) और एमएसएमई की प्रदर्शनियों के लिए प्रापण और विपणन स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विक्रेयता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। यह स्कीम देश भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि के आयोजन/उनमें भागीदारी जैसी बाजार पहुंच पहल प्रदान करती है। इसके अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में संचालित वीडीपी और घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में लाभार्थियों का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई के लिए एक विपणन मंच प्रदान करने हेतु उद्योग संघों, एमएसएमई और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सहयोग से किए जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

वर्ष 2023-24 के दौरान संचालित विक्रेता विकास कार्यक्रम की संख्या का ब्यौरा (राज्य-वार)

क्र. सं.	डीएफओ का नाम	संचालित वीडीपी (दिनांक 30.11.2023 तक)	लाभार्थियों की संख्या (लगभग)
1	कर्नाटक	1	100
2	दिल्ली	1	204
3	**ओडिशा**	**1**	**100**
4	हरियाणा	2	200
5	उत्तराखंड	1	100
6	महाराष्ट्र	1	100
7	पंजाब	1	100
8	केरल	1	100
9	असम	1	100
कुल		**10**	1104

वर्ष 2023-24 में घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनी में लाभार्थियों का ब्यौरा (राज्य-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कीम के घटक 5 (अ) (क) के अंतर्गत दिनांक 08.12.2023 तक लाभान्वित एमएसई की कुल संख्या
1	मिजोरम सहित त्रिपुरा	3
2	उत्तर प्रदेश	140
3	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सहित गुजरात	440
4	कर्नाटक	312
5	पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	416
6	**ओडिशा**	**305**
7	नागालैंड	3
8	सिक्किम	5
9	अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सहित असम	33
10	उत्तराखंड	19
11	तेलांगना	196
12	मणिपुर	5
13	मध्य प्रदेश	167
14	लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर	41
15	राजस्थान	386
16	हरियाणा	154
17	पश्चिम बंगाल	81
18	चंडीगढ़ सहित पंजाब	216
19	महाराष्ट्र	1,565
20	बिहार	67
21	दिल्ली और एनसीआर	549
22	छत्तीसगढ़	23
23	झारखंड	25
24	हिमाचल प्रदेश	18
25	केरल	139
26	आंध्र प्रदेश	72
27	गोवा	3
कुल		**5,383**